

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)बजट(गै0यो0)-14/2011 05 (अम)

खाद्य,पटना-15,दिनांक 27/05/16

प्रेषक,

रमाशंकर प्रसाद दफ्तुआर, (भा0प्र0से0)
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्यय पदाधिकारी,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:-

मुख्यशीर्ष 2013 मंत्रिपरिषद, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष- 105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान, मांग सं0-04 उपशीर्ष 0002- मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान- विषय शीर्ष 3103 विवेकानुदान इकाई के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना के पत्रांक 03/सी0एस0एम0/विविध-11/2016-255, दिनांक-06.05.2016 द्वारा प्राप्त राशि 5,00,000/- (पाँच लाख) रुपये का पुनरावंटन ।

प्रसंग :-

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग का पत्रांक03/सी0एस0एम0/विविध-11/2016-255, दिनांक-06.05.2016

महाशय,


उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु विवेकानुदान इकाई में कुल रूपये 5,00,000/- (रू0 पाँच लाख) मात्र का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना के पत्रांक 03/सी0एस0एम0/विविध-11/2016-255, दिनांक-06.05.2016 के द्वारा प्राप्त हुआ है, जिसे आवश्यकतानुसार व्यय करने हेतु इस राशि को पुनरावंटित किया जाता है ।

1. व्यय का विकलन मुख्यशीर्ष 2013 मंत्रिपरिषद, उप मुख्यशीर्ष 00, लघुशीर्ष-105 मंत्रियों द्वारा विवेकाधीन अनुदान, मांग सं0-04, उपशीर्ष 0002- मंत्रियों द्वारा वैवेकिक अनुदान-विषय शीर्ष 3103 विवेकानुदान इकाई, विपत्र कोड संख्या एन0-2013001050002 के वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक के अन्तर्गत होगा ।
2. वित्त विभाग के परिपत्र सं0-2419 वि0(2), दिनांक 05.04.2007 के साथ पठित वित्त विभाग के पत्र सं0-2561 दिनांक 17.04.98 एवं 423/वि0 दिनांक 31.03.2016 में निहित निदेशों के अनुसार व्यय किया जायेगा ।
3. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा विपत्र में यह अंकित किया जायेगा कि राशि प्राप्त आवंटन के अधीन है । संबंधित विपत्र में विभाग के आवंटन आदेश संख्या तथा निधि का उल्लेख भी करना होगा जिसके आधार पर संबंधित विपत्र में निहित राशि की निकासी की जा रही है ।


अवर सचिव-सह-
निकासी एवं व्यय पदाधिकारी

4. यदि राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में नहीं हो सके तो राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2017 तक अवश्य कर दिया जाए अन्यथा इससे उत्पन्न अनियमितताओं की सारी जिम्मेवारी संबंधित पदाधिकारी की होगी ।


विश्वासभाजन


सरकार के संयुक्त सचिव ।


ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(गै0यो0)-14/2011 05/AMC) खाद्य,पटना-15,दिनांक 27/05/16
प्रतिलिपि-महालेखाकार कार्यालय वीरचन्द्र पटेल पथ बिहार, पटना के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।


ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(गै0यो0)-14/2011 05/AMC) खाद्य,पटना-15,दिनांक 27/05/16
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार सिंचाई भवन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(गै0यो0)-14/2011 05/AMC) खाद्य,पटना-15,दिनांक 27/05/16
प्रतिलिपि-संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना के पत्रांक 03/सी0 एस0एम0/
विविध-11/2016-255, दिनांक-06.05.2016 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट(गै0यो0)-14/2011 05/AMC) खाद्य,पटना-15,दिनांक 27/05/16
प्रतिलिपि-माननीय मंत्री महोदय के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी 01 एवं 05 (दो प्रतियो में) आई0
टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु
प्रेषित ।


सरकार के संयुक्त सचिव ।

Genl. 